न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास ममता कुमारी तिवारी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 80 / 2023 / अपील / एलआरएक्ट / कोटा

दायरा दिनांकः 01.06.2023

अन्तर्गत धाराः 76 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

भाग चन्द दत्तक पुत्र गोपीलाल जाति जैन महाजन निवासी ए–48 मोती नगर विस्तार योजना बोरखेडा कोटा जिला कोटा राज०

.....अपीलान्ट

बनाम

1. जम्बू कुमार आत्मज शांति लाल उर्फ हेमराज
2. अशोक कुमार आत्मज शांति लाल उर्फ हेमराज
3. अन्तिम कुमार आत्मज शांति लाल उर्फ हेमराज
   जाति महाजन निवासीगण ग्राम नीमोदा तहसील दीगोद जिला कोटा
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

.....रेस्पो0

उपस्थित : श्री मुकेश खरोल, अभिभाषक – अपीलांट

श्री जगदीश नन्दवाना, अभिभाषक एवं
श्री धीरेन्द्र मालव, अभिभाषक – रेस्पो0 क्र. 1 लगायत 3

पेरोकार सरकार – रेस्पो0 क्र. 4

::निर्णय::

दिनांक 28.03.2025

अपीलांट ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटा द्वारा प्रकरण संख्या 20 / 2020 / अपील उनवान भागचन्द दत्तक पुत्र गोपीलाल बनाम जम्बू कुमार आत्मज शांतिलाल वगे0 में पारित निर्णय दिनांक 28.12.2022 के विरूद्ध द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि परीक्षण न्यायालय तहसीलदार, दीगोद के समक्ष जम्बू कुमार, अशोक कुमार, अन्तिम कुमार पुत्र हेमराज उर्फ शान्तिलाल जाति महाजन निवासी नीमोदा ने दिनांक 15.05.2003 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर अनरजिस्टर्ड वसीयत नामा, मृत्यु प्रमाण–पत्र के आधार पर अपनी बुआ गोपाली बाई पत्नि गोपीलाल पुत्री

रामनाथ के हिस्से की भूमि पर अपना नाम दर्ज करवाने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में परीक्षण न्यायालय तहसीलदार, दीगोद के द्वारा मृतक गोपाली बाई पत्नि गोपीलाल पुत्री रामनाथ जाति महाजन के ग्राम चन्द्रावला, उदपुरा, अतरालिया में स्थित भूमियों पर वसीयत ग्रहिता जम्बू कुमार, अशोक कुमार, अन्तिम कुमार के नाम नामांतरकरण दर्ज करने का आदेश दिनांक 31.10.2013 पारित किया गया। उक्त निर्णय दिनांक 31.10.2013 के विरूद्ध अपीलांट भागचंद दत्तक पुत्र गोपीलाल के द्वारा भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत प्रथम अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटा को पेश किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अपीलाण्ट और रेस्पोडेन्ड द्वारा अपने–अपने पक्ष में दस्तावेज क्रमशः गोदनामा एवं वसीयत को आधार बनाये जाने से तथा दोंनो दस्तावेज सक्षम सिविल न्यायालय में वैद्यता निर्धारण के लिए विचाराधीन होने से उक्त दस्तावेजो की वैद्यता के संबध में सक्षम सिविल न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरण में निर्णय नहीं हो जाता तब तक उक्त प्रकरण में निर्णय पारित किया जाना विधि सम्मत नहीं होना प्रकट करते हुए निर्णय दिनांक 28.12.2022 से अपील खारिज की गई।

2. अपीलांट द्वारा उक्त आदेश से अप्रसन्न होकर भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 अन्तर्गत द्वितीय अपील इस न्यायालय में पेश कर कथन किया कि खातेदार गोपीलाल आत्मज घांसी जी के कोई संतान न होने से उन्होने अपीलान्ट को उसके प्राकृतिक पिता मोहनलाल जी से बचपन में ही गोद ले लिया था जिसका रजिस्टर्ड दस्तावेज गोदनामा कार्यालय उपपंजीयक कोटा के यहां दिनांक 11.02.1969 को पंजीबद्ध हो रहा है। इस प्रकार अपीलान्ट गोपीलाल व उनकी पत्नी श्रीमती गोपाली का दत्तक पुत्र है। अपीलान्ट के गोद पिता गोपीलाल जी का देहावसान दिनांक 06.05.1992 को एवं माता गोपाली का देहावसान दिनांक 31.12.1983 को हो गया। अपीलान्ट की गोद माता गोपाली पत्नी गोपीलाल महाजन निवासी नान्ता के नाम ग्राम उदपुरा तहसील दीगोद की ख0न0 62, 63, 64, 71, 74, 130, 131, 132, 159, 183, 187, 216, 239, 243, 269, 271, 285, 515, 516, 519, 595/519 कल 21 किता की 16.57 हेक्टर एवं ग्राम चन्द्रावला तहसील दीगोद की खसरा नम्बर 165, 167, 528, 675, 686, 966, 980, 990, 1047, 1053, 1057, 1058, 1150/2 कुल 13 किता की 32. 52 हेक्टर तथा ग्राम अतरालिया तहसील दीगोद की खसरा नम्बर 787, 1204 कुल दो किता की 3.11 हेक्टर भूमियां सयुंक्त खातेदारी में दर्ज चली आ रही थी। जिसमें गोपाली बाई का अलग–अलग हिस्सा दर्ज चला आ रहा था, जिस पर अपीलान्ट की माता गोपाली एंव अन्य सहखातेदारान सयुंक्त रूप से काबिज काश्त चले आ रहे थे। गोपीलाल जी की मृत्यु के पश्चात् उनके शामलाती खाते की ग्राम नान्ता तह०लाडपुरा स्थित भूमि का इंतकाल अपीलान्ट के नाम बतौर गोद पुत्र के दिनांक 06.06.1994 को तस्दीक किया गया तथा अपीलान्ट का नाम बतोर गोदपुत्र राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गया। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 11.01.2013 को

समस्या समाधान शिविर केम्प भाण्डा हेडा पर गोद माता गोपाली बाई पुत्री रामनाथ पत्नी गोपीलाल जी का फोती नामान्तरकरण अपीलान्ट के नाम दर्ज कराने का प्रार्थना पत्र रेस्पो० क्र. 4 तहसीलदार दीगोद को पेश किया जिस पर तहसीलदार लाडपुरा से वारिस बाबत रिपोर्ट मांगी गयी जिस पर रिपोर्ट तैयार कर अपीलान्ट ने तहसील दीगोद में दिनांक 31.05.2013 को पेश की। जिस पर नामान्तरकरण की कार्यवाही हेतु पटवार हल्का को लिखा गया। रेस्पो० नं0 1 ता 3 को उक्त इन्तकाल की कार्यवाही की जानकारी होने पर रेस्पा० नं० 1 ता 3 द्वारा अपीलान्ट की माता श्रीमती गोपाली बाई की भूमियों को हड़प करने की नियत से षडयंत्र पूर्वक फर्जी व कूटरचित वसीयत दिनांक 23.03.1978 की तैयार कर गोपाली बाई के हिस्से की भूमियों का फोती इंतकाल अपने नाम खुलवाने हेतु तहसीलदार दीगोद के समक्ष आवेदन पत्र पेश कर दिया। जिस पर तहसीलदार ने अपीलान्ट को सूचना दिये बिना ही व सुनवायी का अवसर दिये बिना ही सरसरी तोर पर दिनांक 31.10.2013 को गोपाली बाई के हिस्से की भूमि को रेस्पो० न0 1 लगायत 3 के नाम नामान्तरकरण दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये। जिसकी अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा में करने पर अधीनस्थ न्यायालय ने उपलब्ध तथ्यों व दस्तावेजों पर ध्यान दिये बिना ही सरसरी तोर पर अपीलान्ट की अपील अपने निर्णय दिनांक 28.12.2022 से खारिज करदी। इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि न्याय एवं संचिका के सिद्धी प्राप्त तथ्यों से सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के इस तर्क पर ध्यान नहीं दिया कि गोपाली बाई अपीलान्ट की गोद माता थी ओर उसने कभी भी रेस्पो० न० 1 ता 3 के पक्ष में कोई वसीयत नामा नहीं लिखवाया। तथाकथित वसीयत नामा 50 नये पैसे के स्टाम्प पर लिखा गया है तथा उस पर किसी भी गवाह के हस्ताक्षर नहीं है तथा उक्त वसीयत नामा न तो नोटेरी से तस्दीक कराया गया है और न ही रजिस्टर्ड करवाया गया है गोपाली बाई अनपढ थी तथा वह अगूंठा लगाती थी, गोपाली बाई के हस्ताक्षर फर्जी बनाये गये है तथा उक्त वसीयत नामा फर्जी व बनावटी है किन्तु इसके बावजूद भी परीक्षण न्यायालय ने उक्त फर्जी व बनावटी व कूट रचित वसीयत नामे को रजिस्टर्ड वसीयत नामा होने व 50/– रूपये के स्टाम्प पर लिखा होना मान कर तथा अन्य व्यक्ति के बयान लेकर वसीयत को सही मान कर परीक्षण न्यायालय ने आदेश पारित किया है वह अवैध है जिसको खारिज न कर अपीलान्ट की अपील को खारिज करने में त्रुटि की है। अपीलान्ट को किसी प्रकार की कोई सूचना नही दी गयी है, इस कारण तहसीलदार दीगोद द्वारा पारित निर्णय त्रुटि पूर्ण होने से निरस्त होने योग्य था। अधीनस्थ न्यायालय ने यह मान कर कि वसीयत को निरस्त करने हेतु अपीलान्ट ने सिविल न्यायालय में दावा पेश कर रखा है तथा गोद पुत्र को निरस्त करने हेतु रेस्पो० नं0 1 ता 3 ने सिविल न्यायालय में पेश कर रखा है तथा जब तक सिविल न्यायालय से निर्णय नहीं हो जाता है तब तक प्रकरण में निर्णय पारित किया जाना विधि सम्मत नही है, मान कर अपीलान्ट की अपील

28/3/2025

खारिज करने में त्रुटि की है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय को ऐसी स्थिती में रिकार्ड की पूर्व की यथास्थिती कायम करने का आदेश देकर अपील स्वीकार करना चाहिये था। रेस्पो0नं0 1 लगायत 3 ने इंतकाल की कार्यवाही में जो शपथ–पत्र पेश किये है, जिसमें गोपाली बाई की मृत्यु दिनांक 31.08.1983 को होना अंकित किया है, जबकि गोपाली बाई की मृत्यु 31.12.1983 को हुई है। साथ ही साथ गोपाली बाई के हिस्से की तीनों खाते की वसीयत रेस्पो० नं0 1 लगायत 3 ने अलग–अलग अपने नाम वसीयत होना लिखा है, जबकि तथाकथित वसीयत तीनों भाईयों के पक्ष में दिनांक 23.03.1978 को आलेखित किया जाना बताया गया है, तब से लेकर वर्ष 2013 तक रेस्पो0 ने तथाकथित उक्त वसीयत के आधार पर इंतकाल तस्दीक क्यों नहीं करवाया, इसका भी कोई कारण नहीं दिया। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों को नजर अन्दाज कर अपीलान्ट की अपील सरसरी तौर पर खारिज करने में अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.12.22 एवं दिनांक 31.10.2013 निरस्त किया जाकर नामान्तकरण संख्या 313 निरस्त फरमाया जावे तथा मृतक गोपाली बाई जी का फोती नामान्तरकरण अपीलान्ट के पक्ष में खोले जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि खातेदार गोपीलाल आत्मज घांसी जी के कोई संतान न होने से उन्होने अपीलान्ट को उसके प्राकृतिक पिता मोहनलाल जी से बचपन में ही गोद ले लिया था जिसका रजिस्टर्ड दस्तावेज गोदनामा कार्यालय उपपंजीयक कोटा के यहां दिनांक 11.02.1969 को पंजीबद्ध हो रहा है। इस प्रकार अपीलान्ट गोपीलाल व उनकी पत्नी श्रीमती गोपाली का दत्तक पुत्र है। तहसीलदार, दीगोद के द्वारा रेस्पो0 क्र.1 लगायत 3 के आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर अपीलांट को नोटिस जारी नहीं किया गया। गोपाली बाई की मृत्यु वर्ष 1983 में हुई, लेकिन रेस्पो0 क्र.1 लगायत 3 के द्वारा वसीयत 2013 में पेश की गई, जबकि तथाकथित वसीयत तीनों भाईयों के पक्ष में दिनांक 23.03.1978 को आलेखित किया जाना बताया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने यह मान कर कि वसीयत को निरस्त करने हेतु अपीलान्ट ने सिविल न्यायालय में दावा पेश कर रखा है तथा गोद पुत्र को निरस्त करने हेतु रेस्पो० नं0 1 ता 3 ने सिविल न्यायालय में पेश कर रखा है तथा जब तक सिविल न्यायालय से निर्णय नहीं हो जाता है तब तक प्रकरण में निर्णय पारित किया जाना विधि सम्मत नही है, मान कर अपीलान्ट की अपील खारिज करने में त्रुटि की है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय को ऐसी स्थिती में रिकार्ड की पूर्व की यथास्थिती

कायम करने का आदेश देकर अपील स्वीकार करना चाहिये था। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.12.22 एवं दिनांक 31.10.2013 निरस्त किया जाकर नामान्तकरण संख्या 313 निरस्त फरमाया जाकर मृतक गोपाली बाई जी का फोती नामान्तरकरण अपीलान्ट के पक्ष में खोले जाने का आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया। अपने पक्ष के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत SCI SLP (C) 13146/2021 Jitendra vs The State of Madhya Pradesh Dt. 06-09-2021, SCI Civil Appeal No. 3725-3726 of 2015 Lakshmaiah Reddy & ors vs L. Venkatesh Reddy Dt. 17-04-2015, SCI Civil Appeal No. 5167 of 2010 Khushi Ram vs Nawal Singh Dt. 22-02-2021, SCI Civil Appeal No. 6659 of 2011 Arunachalal Gounder By Lrs vs Ponnusamy Dt. 20-01-2022 पेश किये।

5. रेस्पो0 क्र. 1 लगायत 3 अभिभाषक ने अपने पक्ष के समर्थन में कथन किया कि वसीयत नामे एवं गोदनामें सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष के द्वारा अपने–अपने पक्ष में प्रस्तुत दस्तावेज क्रमशः गोदनामा एवं वसीयत को आधार बनाये जाने से तथा दोंनो दस्तावेज सक्षम सिविल न्यायालय में वैद्यता निर्धारण के लिए विचाराधीन होने से उक्त दस्तावेजो की वैद्यता के संबध में सक्षम सिविल न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरण में निर्णय नहीं हो जाता तब तक उक्त प्रकरण में निर्णय पारित किया जाना विधि सम्मत नहीं होना प्रकट करते हुए निर्णय दिनांक 28.12.2022 से अपील खारिज की गई। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित है। अपने पक्ष के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत RRT 2019(2) Hastu Mali (Smt.) Vs Smt. Mangibai Dt. 02.01.2019 Page No. 1118, 2021(2) DNJ [Rev.] Saida Vs Abdul Latif Page No. 1041, RRT 2019(2) Goga Devi vs Narayan Lal Page No. 1125 पेश किये।

6. हमने अपील पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस विद्धान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि परीक्षण न्यायालय तहसीलदार, दीगोद के समक्ष जम्बू कुमार, अशोक कुमार, अन्तिम कुमार पुत्र हेमराज उर्फ शान्तिलाल जाति महाजन निवासी नीमोदा ने दिनांक 15.05.2003 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर अनरजिस्टर्ड वसीयत नामा, मृत्यु प्रमाण–पत्र के आधार पर अपनी बुआ गोपाली बाई पत्नि गोपीलाल पुत्री रामनाथ के हिस्से की भूमि पर अपना नाम दर्ज करवाने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में परीक्षण न्यायालय तहसीलदार, दीगोद के द्वारा मृतक गोपाली बाई पत्नि गोपीलाल पुत्री रामनाथ जाति महाजन के ग्राम चन्द्रावला, उदपुरा, अतरालिया में स्थित भूमियों पर वसीयत ग्रहिता जम्बू कुमार, अशोक कुमार, अन्तिम कुमार के नाम नामांतरकरण दर्ज करने का आदेश दिनांक 31.10.2013 पारित किया गया। उक्त निर्णय दिनांक 31.10.2013 के विरूद्ध अपीलांट भागचंद दत्तक पुत्र गोपीलाल के द्वारा भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत प्रथम अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला

कलक्टर, कोटा को पेश किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अपीलाण्ट और रेस्पोडेन्ड द्वारा अपने–अपने पक्ष में दस्तावेज क्रमशः गोदनामा एवं वसीयत को आधार बनाये जाने से तथा दोंनो दस्तावेज सक्षम सिविल न्यायालय में वैद्यता निर्धारण के लिए विचाराधीन होने से उक्त दस्तावेजो की वैद्यता के संबध में सक्षम सिविल न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरण में निर्णय नहीं हो जाता तब तक उक्त प्रकरण में निर्णय पारित किया जाना विधि सम्मत नहीं होना प्रकट करते हुए निर्णय दिनांक 28.12.2022 से अपील खारिज की गई। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट का मुख्य तर्क रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय ने यह मान कर कि वसीयत को निरस्त करने हेतु अपीलान्ट ने सिविल न्यायालय में दावा पेश कर रखा है तथा गोद पुत्र को निरस्त करने हेतु रेस्पो० नं0 1 ता 3 ने सिविल न्यायालय में पेश कर रखा है तथा जब तक सिविल न्यायालय से निर्णय नहीं हो जाता है तब तक प्रकरण में निर्णय पारित किया जाना विधि सम्मत नही है, मान कर अपीलान्ट की अपील खारिज करने में त्रुटि की है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय को ऐसी स्थिती में रिकार्ड की पूर्व की यथास्थिती कायम करने का आदेश देकर अपील स्वीकार करना चाहिये था। इसके विपरित रेस्पो0 के तर्क है कि वसीयत नामे एवं गोदनामें सिविल न्यायालय में विचाराधीन है तथा दस्तावेजों के आधार पर पक्षकारान के हकों का निर्धारण होने से तथा नामांतरकरण एक वित्तीय कार्यवाही है, जिसमें अधिकार, स्वत्व अथवा हित निर्णीत नहीं किये जा सकते। प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पो0 की ओर से प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण जो निम्नानुसार प्रतिपादित हैं :–

RRT 2019(2) Hastu Mali (Smt.) Vs Smt. Mangibai Dt. 02.01.2019 :- Rajasthan Land Revenue Act, 1956-Section 135- Mutation attested in favour of the respodents after the death of 'U'-Appeals dismissed-Summary nature of the proceedings –Regular suit for adjudication of rights is pending before the Revenue Court-Held, No illegality in the orders.

Imp. Point :- Rights of the parties cannot be decided in mutation proceedings. Revision dismissed

2021(2) DNJ [Rev.] Saida Vs Abdul Latif Page No. 1041 :- Rajasthan Land Revenue Act, 1956-Section 135- Mutation attested on the basis of unregistered sale deed- Sale consideration was below 100/- Appeals dismissed against the order upto the Additional Divisional Commissioner- No registration of document is necessary which is executed for a valuation of below 100/- Revenue suit is pending between the parties- Mutation is a fiscal proceedings in which rights, title or interest cannot be decided- Concurrent judgements-Hel, Revision is devoid of substance and dismissed.

28/3/2025

इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट के पक्ष में रजिस्टर्ड गोदनामा सिविल न्यायालय में विचाराधीन है तथा रेस्पोडेन्ट के पक्ष में निष्पादित वसीयत भी सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। चूंकि इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर पक्षकारान के हकों का निर्धारण होगा। नामांतरकरण की अपील में अधिकारों का निर्धारण नहीं होता। अतः संबंधित दस्तावेजों के वाद सिविल न्यायालय में लम्बित होने से सिविल न्यायालय से निर्णय होने से ही पक्षकारान के हकों का निर्धारण होगा। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.12.2022 न्यायोचित होने से अपील प्रकरण में हम किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नहीं पाते है। परिणाम स्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती है।

7. निर्णय आज दिनांक 28.03.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

28/3/2025

(ममता कुमारी तिवारी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा

अति. संभागीय आयुक्त
कोटा